

कार्यालय : भूपेश कुमार बसंत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

// दांडिक कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक / क्यू. / दां.का.वि. / सी0जे0एम0 / 2026

दुर्ग, दिनांक-05.09.2026

मैं, भूपेश कुमार बसंत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ.ग.) पूर्व में जारी **दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश** क्रमांक क्यू/दां.का.वि./सी0जे0एम0/2026 दुर्ग दिनांक 07.01.2026 को निरस्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूँ, जो माननीय प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय, दुर्ग के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील होगा :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01	02	03	04
01	श्री भूपेश कुमार बसंत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला-दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- 1. दुर्ग 2. पदमनाभपुर 3. सुपेला (चौकी स्मृति नगर) 4. मोहन नगर 5. यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई 6. समस्त आबकारी विभाग, दुर्ग 7. सायबर काईम (सेल) 8. थाना पुलगांव (चौकी जेवरा सिरसा, नगपुरा, अंजोरा)	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना। (2) नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई से नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश सभी दांडिक मामलों, परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (3) यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (4) आरक्षी केन्द्र-दुर्ग, पदमनाभपुर, सुपेला(चौकी स्मृति नगर), मोहन नगर, पुलगांव (चौकी जेवरा सिरसा, नगपुरा, अंजोरा) से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा-34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (5) माननीय उच्च न्यायालय के अधिसूचना क्रमांक 5021, तीन 7-7/2005 बिलासपुर दिनांक:-19.10. 2005 के अनुसार सिविल जिला दुर्ग एवं राजनांदगाँव से उत्पन्न:- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम-1944, (2) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम-1992, (3) कम्पनी अधिनियम-1956, (4) धनकर अधिनियम-1957, (5) दानकर अधिनियम-1958, (6) आयकर अधिनियम-1961, (7) सीमा शुल्क अधिनियम-1962 (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम-1963, (9) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम-1964, (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक

		व्यवहार अधिनियम-1969 (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम-1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (6) राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना। (7) दुर्ग मुख्यालय के सभी थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (8) दुर्ग राजस्व जिला से आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण, विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र का निराकरण करना। (9) राजस्व जिले दुर्ग के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (10) दुर्ग राजस्व जिले से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (11) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (12) Mines Act 1952, Mines and Minerals Development Act 2015 के तहत परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण। (14) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (15) माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 8198/(Checker)II-6-2/2020 (MP/MLA) बिलासपुर दिनांक 19 सितम्बर 2020 तथा कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक 2358/एक-10-1/96 दुर्ग दिनांक 28/9/2020 के अनुसार एम.पी./एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। (16) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक 10843/Chekar/III-6-3/2021Bilaspur, Dated 05 September, 2022 के अनुसार आयकर
--	--	--

			अधिनियम 1961 की धारा 280 क और काला धन (अप्रकटिक विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने के कारण संबंधित मामलों का निराकरण करना। (17) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, पदमनाभपुर तथा थाना सुपेला (चौकी स्मृति नगर) एवं मोहन नगर, पुलगांव (चौकी जेवरा सिरसा, नगपुरा, अंजोरा) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
02	श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- बोरी (चौकी लिटिया)	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं.नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
03	श्री ईशान व्यास न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- उतई, (चौकी -मचांदुर)	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू

			हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
04	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- 1.भिलाई भट्ठी 2. भिलाई नगर	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं.नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

			(8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
05	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- 1.नेवई 2.छावनी	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय- समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
06	श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- खुर्सीपार	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं.नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

			(4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
07.	श्रीमती ऐश्वर्या दीवान, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- महिला थाना	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय- समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (8) समस्त न्यायिक जिला दुर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के रिक्त न्यायालय का कार्य माननीय उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करना। (9) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले

			आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
08.	श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- अ.जा.क. थाना	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं.नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
09	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- वैशाली नगर	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना।

			(4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
10	कु. मुस्कान शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	समस्त दुर्ग-भिलाई (पुरानी भिलाई-भिलाई-3) पाटन एवं धमधा को छोड़कर) धारा 354, 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. बोर्ड	(1) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, पदमनाभपुर, छावनी, मोहन नगर, सुपेला, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, भिलाई नगर, जामुल, भिलाई भटठी, नेवई, पुलगाँव, उत्तई, महिला थाना, ए.जे.के. थाना, खुर्सीपार, बोरी, अण्डा, नंदिनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा 354, 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (विशेषतः अधिसूचित न्यायालय) (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
11	कु. वैशाली बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	---	(1) आरक्षी केन्द्र-सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा-138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
12	कु. एंजल वमिको तिग्गा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	---	(1) आरक्षी केन्द्र-दुर्ग के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा-138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
13	कु. रीतिका ढिडही न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	---	(1) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को आबंटित थाना-दुर्ग एवं पदमनाभपुर क्षेत्रान्तर्गत के पूर्व में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में संबंधित थाने द्वारा पेश किये जाने पर विधिवत सुनवाई/ कार्यवाही कर निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

14	श्री पंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- अण्डा	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (9) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
15	कु. रुचिका माहेश्वरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	---	(1) आरक्षी केन्द्र-सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
16	कु. आकांक्षा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	---	(1) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को आबंटित थाना-सुपेला (चौकी स्मृति नगर) एवं मोहन नगर क्षेत्रान्तर्गत के पूर्व में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में संबंधित थाने द्वारा पेश किये जाने पर विधिवत सुनवाई/ कार्यवाही कर निराकरण करना। (2) आरक्षी केन्द्र- मोहन नगर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा-138 से संबंधित

			मामलों का निराकरण करना। (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
17	श्री राहुल शोरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- जी.आर.पी. भिलाई (चौकी-चरोदा, दुर्ग)	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा.दं.सं. नवीन धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा.न्या.सं. के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (9) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
18	कु. महिमा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	—	(1) आरक्षी केन्द्र-पुलगांव (चौकी अंजोरा, जेवरा सिरसा, नगपुरा) के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
19	कु. आरती ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	—	(1) आरक्षी केन्द्र- पुलगांव (चौकी अंजोरा, जेवरा सिरसा, नगपुरा) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा-138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

			(2) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को आबंटित पुलगांव (चौकी जेवरा सिरसा, अंजोरा, नगपुरा) क्षेत्रान्तर्गत के पूर्व में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में संबंधित थाने द्वारा पेश किये जाने पर विधिवत सुनवाई/ कार्यवाही कर निराकरण करना। (3) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
20	कु. शारदा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	—	(1) आरक्षी केन्द्र—मोहन नगर के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
21	कु. प्रियंका गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	—	(1) आरक्षी केन्द्र—पद्मनाभपुर के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
22	श्री आयुष ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	—	(1) आरक्षी केन्द्र—दुर्ग के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
23	श्री सजल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	—	(1) आरक्षी केन्द्र—पद्मनाभपुर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा-138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
24	कु. दीपांशी जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग	प्रशिक्षु न्यायाधीश	
25	श्री सौनक वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग	प्रशिक्षु न्यायाधीश	
26	श्री आयुष यार्दी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग	प्रशिक्षु न्यायाधीश	
27	श्रीमती शीतल निकुंज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:— पाटन, रानीतराई, उतई एवं थाना जामगाँव (आर) के (राजस्व	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर ग्राम :— जामगाँव (एम), घुघवा, जमराव, करगा, कोपेडीह, महुदा, उफरा, कापसी, झींठ, खुडमुडा, गुरुवाईनडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों

		तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा थाना अमलेश्वर,	का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उदभूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
28	श्री अभिनव डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3	आरक्षी केन्द्र:- 1. पुरानी भिलाई (भिलाई-3), तथा अमलेश्वर, 2. कुम्हारी 3. जामुल	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर के ग्राम:-अमलेश्वर, मटिया, भोथली,मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा,मोतीपुर,खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव,गभरा,अमलीडीह, कुरुदडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आरक्षी केन्द्र-पुरानी भिलाई(भिलाई-3), अमलेश्वर, (अमलेश्वर के ग्राम:-अमलेश्वर, मटिया, भोथली,मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव,गभरा, अमलीडीह, कुरुदडीह) तथा आरक्षी केन्द्र कुम्हारी से उत्पन्न धारा 354,509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

			2005 के मामलों का निराकरण करना (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (8) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (9) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
29	कु. ईशानी अवधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई 3 दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- नंदिनी नगर	(1) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आरक्षी केन्द्र-नंदिनी नगर से उत्पन्न धारा 354,509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (8) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (9) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
30	श्री शैलेश कुमार वशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, धमधा, जिला-दुर्ग	आरक्षी केन्द्र:- धमधा	(1) कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार

		किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (8) संबंधित थाने से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
--	--	---

—::— न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अनुपस्थिति की दशा में —::—

जिला स्थापना दुर्ग में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के कार्यों का संपादन/निष्पादन निम्नानुसार किया जाएगा :-

// परिशिष्ट – “ए” //

क्रं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम एवं पद
01	02	03
1	श्री भूपेश कुमार बसंत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग	1. श्री रवि कुमार महोबिया, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग, 3. श्री बिरेन्द्र सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 4., श्री शाश्वत दुबे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
2	श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री ईशान व्यास, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री रवि कुमार महोबिया, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री बिरेन्द्र सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
3	श्री ईशान व्यास न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री बिरेन्द्र सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्रीमती अंजली सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्रीमती ऐश्वर्या दीवान, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
4	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री बिरेन्द्र सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री ईशान व्यास, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्री शाश्वत दुबे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
5	श्री विरेन्द्र सिंह,	1. श्रीमती अंजली सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग

[illegible]

		3. श्री सजल जैन, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
21	कु. प्रियंका गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री आयुष ताम्रकार, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग 2. श्री सजल जैन, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग 3. कु. महिमा शर्मा, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग 4. कु. आरती ध्रुव, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
22	श्री आयुष ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. श्री सजल जैन, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग 2., कु. आरती ध्रुव, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग 3. कु. शारदा शर्मा, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग
23	श्री सजल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	1. कु. महिमा शर्मा, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग 2., कु. शारदा शर्मा, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग 3. कु. प्रियंका गोस्वामी, न्या. मजि. द्वि.श्रे. दुर्ग
24	श्री अभिनव डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3 जिला-दुर्ग(छ.ग.)	1. कु. ईशानी अवधिया, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्री ईशान व्यास, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
25	कु. ईशानी अवधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3 जिला-दुर्ग(छ.ग.)	1. श्री अभिनव डहरिया,, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 2. कु. मुस्कान शर्मा, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. कु. वैशाली बघेल,, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
26	श्रीमती शीतल निकुंज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	1. श्री ईशान व्यास, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग, 2. श्रीमती अंजली सिंह, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्रीमती ऐश्वर्या दीवान, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग
27	श्री शैलेश कुमार वशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	1. श्री शाश्वत दुबे, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग, 2. कु. मुस्कान शर्मा, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग 3. कु. वैशाली बघेल, न्या. मजि. प्र.श्रे. दुर्ग

परिशिष्ट “ बी ”

धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत
साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
01	श्री शाश्वत दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	मोहन नगर
02	श्री पंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	छावनी
03	कु. वैशाली बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	महिला थाना, (थाना मोहन नगर के धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले)
04	कु. एंजल वमिको तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, दुर्ग	सुपेला, अण्डा, (थाना छावनी के धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले)
05	कु. रीतिका ढिडही, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	जी0आर0पी0 दुर्ग-भिलाई, नेवई,
06	कु. रुचिका माहेश्वरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	पाटन, (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) (थाना उत्तई, खुर्सीपार के धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं

		पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले)
07	कु. आकांक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	पदमनाभपुर, जामुल, (थाना कुम्हारी के धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले)
08	श्री राहुल सोरी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	भिलाई नगर, वैशाली नगर,
09	कु. महिमा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	बोरी, पुलगाँव, ए0जे0के0, (थाना भिलाई नगर एवं वैशाली नगर के धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले)
10	कु. आरती ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	रानीतराई, उत्तई जामगाँव—आर तथा अमलेश्वर
11	कु. शारदा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	भिलाई भटठी, पुरानी भिलाई (भिलाई—3)
12	कु. प्रियंका गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	दुर्ग, धमधा, (थाना नंदिनी नगर से धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले)
13	श्री आयुष ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	नंदिनी नगर, कुम्हारी
14	सजल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	उत्तई, खुर्सीपार,

परिशिष्ट " सी "

एन0 डी0पी0एस0 अधिनियम 1985 के तहत जब्ताशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना —

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र का नाम
1	श्रीमती आकांक्षा राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	वैशाली नगर,
2	श्री ईशान व्यास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	पुलगांव चौकी अंजोरा, जेवरा सिरसा, नगपुरा,
3	श्री रवि कुमार महोबिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	मोहन नगर
4	श्री बिरेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	बोरी, चौकी लितिया
5	श्री अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	छावनी
6	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	दुर्ग
7	श्री पंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	उत्तई,
8	श्री राहुल सोरी	सुपेला, चौकी स्मृति नगर
9	कु. मुस्कान शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	मचान्दुर,
10	कु. एंजल वामिको तिग्गा	भिलाई नगर

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	
11	कु. रुचिका महेश्वरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	अण्डा
12	कु. आकांक्षा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	जी.आर.पी. भिलाई, चौकी चरोदा, दुर्ग
13	कु. वैशाली बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	नेवई
14	कु. रीतिका ढिड़ही न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	भिलाई भट्ठी
15	कु. महिमा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	थाना आ.जा.क.
16	कु. आरती ध्रुव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	खुर्सीपार
17	कु. शारदा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	पद्मनाभपुर
18	श्रीमती शीतल निकुंज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन, जिला— दुर्ग	पाटन, रानीतराई, उतई एवं थाना जामगांव आर के राजस्व तहसील के अंतर्गत उद्भुत प्रकरण तथा थाना अम्लेश्वर
19	श्री अभिनव डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई—3 जिला— दुर्ग	पुरानी भिलाई, भिलाई 3 तथा अमलेश्वर, चौकी मचान्दुर, कुम्हारी, जामुल
20	कु. ईशानी अवधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई—3 जिला— दुर्ग	नंदिनी नगर
21	श्री शैलेश कुमार वशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमधा, जिला— दुर्ग	धमधा

// आवश्यक दिशा निर्देश //

(01) दुर्ग जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन उपरान्त चलित न्यायालय (Mobile court) लगा सकेंगे।

(02) समस्त थानों के खारिजी प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा खात्मा प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(03) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य व्यवस्था परिशिष्ट “ ए ” में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

(04) धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियों परिशिष्ट “बी” के अनुसार दर्ज करेंगे। परिशिष्ट “बी” के सरल क्रमांक—1 के पीठासीन न्यायाधीश अवकाश पर रहने की दशा में परिशिष्ट—बी के सरल क्रमांक—2 से क्रमशः क्रमांक—3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों विधिवत

अंकित किया जावेगा एवं क्रमांक-14 के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने की दशा में क्रमांक-1, 2, 3, 4, 5, 6 के पीठासीन न्यायाधीश चक्रानुचक्र साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों विधिवत अंकित करेंगे, किन्तु धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में साक्ष्य संस्वीकृतियां परिशिष्ट बी अनुसार महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा ही अंकित किये जाएंगे।

(05) परिशिष्ट "सी" की क्रमांक-18, 19, 20, 21 में इवेट्री किये जाने योग्य मादक पदार्थों के संबंध में विचारण का क्षेत्राधिकार/अल्प मात्रा का होने से क्रमांक-18 को आबंटित थाने का इवेट्री क्रमांक-19 के पीठासीन अधिकारी द्वारा, क्रमांक-19 को आबंटित थाने का इवेट्री क्रमांक-20 के पीठासीन अधिकारी द्वारा तथा क्रमांक-20 को आबंटित थाने का इवेट्री क्रमांक-21 एवं क्रमांक 21 को आबंटित थाना का इवेट्री क्रमांक-18 के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत तैयार किया जावेगा।

(06) परिशिष्ट-बी में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर परिशिष्ट-ए के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिशिष्ट-बी में उल्लेखित कार्य संपादित किया जावेगा, किन्तु धारा 376, 354, 509 भा.दं.सं./नवीन धारा 64 से 71 एवं 74 से 79 भा.न्या.सं. एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में साक्ष्य संस्वीकृतियां परिशिष्ट बी अनुसार महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा ही अंकित किये जाएंगे।

(07) कु. दीपांशी जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग, श्री सौनक वर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग, श्री आयुष यादवी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग जो कि प्रशिक्षु न्यायाधीशगण हैं, उक्त न्यायालय के सिविल डेजिगनेशन के न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण हो गया है, और उनके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की हैसियत से स्थायी गिरफ्तारी वारंट किया गया है, ऐसे स्थायी गिरफ्तारी वारंट श्री आयुष ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।

(08) श्री आयुष ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग द्वारा समस्त न्यायिक जिला दुर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के रिक्त न्यायालय का कार्य, माननीय उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण करेंगी।

(09) न्यायिक जिला स्थापना दुर्ग में पदस्थ जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तब जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ही उक्त स्थायी वारंट तामीली उपरांत पेश होंगे। जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तथा वर्तमान में मजिस्ट्रेट उनके पदनाम या सिविल डेजिगनेशन में है तो संबंधित मजिस्ट्रेट जो वर्तमान में पदस्थ है उनके यहाँ स्थायी गिरफ्तारी वारंट पेश किया जायेगा। परंतु थाना-जामुल से संबंधित स्थायी गिरफ्तारी वारंट श्री अभिनव डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3, जिला-दुर्ग एवं थाना नंदिनी नगर से संबंधित स्थायी गिरफ्तारी वारंट कु. ईशानी अवधिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3, जिला-दुर्ग के समक्ष विधिवत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश किया जायेगा।

(10) थाना जामुल से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, रिमांड प्रपत्र एवं नस्तियां श्री अभिनव डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3, जिला-दुर्ग एवं थाना नंदिनी नगर से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, रिमांड प्रपत्र एवं नस्तियां कु. ईशानी अवधिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिलाई-3, जिला-दुर्ग के न्यायालय में अंतरित/प्रेषित किया जावे।

(11) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(12) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

(13) न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने पर यदि समरी प्रकरण लिंक कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं, तो संबंधित लिंक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उक्त समरी प्रकरणों को अपने न्यायालय में पंजीयन उपरांत निराकरण कर सकेंगे।

Sd/-

(भूपेश कुमार बसंत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग
जिला-दुर्ग(छ.ग.)

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक / / दां.का.वि. / सी0जे0एम0 / 2026 दुर्ग, दिनांक / / 2026
प्रतिलिपि:-

- (1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।
- (2) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सम्प्रेषित।
- (3) माननीय श्री/श्रीमती/कु0, अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) श्री/श्रीमती/कु0, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- (5) कलेक्टर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, दुर्ग को तत्संबंध में सूचित करें।
- (7) आयुक्त, आयकर विभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- (8) आयुक्त नगर निगम, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- (9) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- (10) जिला खाद्य अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- (11) डी0एफ0ओ0, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- (12) जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।
- (13) अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, दुर्ग/भिलाई-3/पाटन को सूचनार्थ प्रेषित।
- (14) जिला अभियोजन अधिकारी, दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd/-

(भूपेश कुमार बसंत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग
जिला-दुर्ग(छ.ग.)